प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पच्चीस'

[29/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 7486]

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

(1)

क्र.6498/22/वि–12/टी–6/अप्र./वि.स./2016 भोपाल,दिनांक 18/03/2016

प्रति,

परिशिष्ट (1) (2 pages)

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :– विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 7486 द्वारा श्री मनोज कुमार अग्रवाल।
संदर्भ :– आपका ई–मेल दिनांक 18.03.2016

––––00––––

विषयांतर्गत तारांकित प्रश्न क्रमांक 7486 द्वारा माननीय विधायक श्री मनोज कुमार अग्रवाल की प्राधिकरण संबंधित जानकारी प्रश्नांश अनुसार निम्नानुसार है।

(क) अनूपपुर जिले कें कोतमा विकासखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दशवें चरण के पैकेज क्रमांक एम.पी.–4621 के अंतर्गत **"खोडरी से जमुड़ी"** मार्ग का निर्माण किया गया है। इस मार्ग के चैनेज 6100 मीटर पर केवई नदी क्रासिंग पर पूर्व में अन्य किसी योजना द्वारा निर्मित रपटा (Existing) स्थित है। उक्त रपटा क्षतिग्रस्त है। उक्त क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर पुल निर्माण हेतु प्राधिकरण द्वारा डी.पी.आर कंसलटेन्ट नियुक्त किया गया है।

(ख) डी.पी.आर. कंसलटेन्ट द्वारा पुल के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पुल का डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है। क्रियान्वयन इकाई द्वारा डीपीआर प्रस्तुत करने के उपरांत प्राधिकरण द्वारा ब्रिज का प्रस्ताव एन.आर.आर.डी.ए. (नेशनल रूरल रोड डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटी नई दिल्ली) को प्रेषित किया जावेगा। एन.आर.आर.डी.ए. से स्वीकृति उपरांत प्राधिकरण द्वारा पुल निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जावेगी। निविदा की स्वीकृति उपरांत पुल का निर्माण किया जाना संभव होगा।

सहपत्रः– निरंक।

(एम.के. गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र..ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल

(2)

(विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 7486)

पूरक जानकारी

अनूपपुर जिले के कोतमा विकासखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दशवें चरण के पैकेज क्रमांक एम.पी.–4621 के अंतर्गत **"खोडरी से जमुड़ी"** मार्ग (लंबाई 7.517 कि.मी.) का निर्माण किया गया है। पैकेज क्रमांक–एम.पी.–4621 के अन्तर्गत खोडरी से जमुडी मार्ग की पॉच वर्ष की संधारण अवधि दिनांक 10.03.2015 को पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में यह मार्ग पैकेज क्रमांक–एम.पी.–46–एमटीएन–057 के अन्तर्गत पॉच वर्ष पश्चात् अनुरक्षण अवधि में है। इस मार्ग के चैनेज 6100 मीटर पर केवई नदी क्रासिंग पर पूर्व में अन्य किसी योजना द्वारा निर्मित रपटा (Existing) स्थित है। उक्त रपटा क्षतिग्रस्त है। उक्त क्षतिग्रस्त रपटे के स्थान पर पुल निर्माण विचाराधीन है, जिस हेतु म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल द्वारा डी.पी.आर कंसलटेन्ट नियुक्त किया गया है। डी.पी.आर. कंसलटेन्ट द्वारा पुल के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पुल का डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है। डी.पी.आर. कंसलटेन्ट से डी.पी.आर. प्राप्त होने के उपरांत पुल का डी.पी.आर. एस.टी.ए. (स्टेट टेक्निकल एजेन्सी जबलपुर इंजीनियरिंग कालेज जबलपुर) के माध्यम से मुख्यालय म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल को प्रस्तुत किया जावेगा। म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा ब्रिज का प्रस्ताव एन.आर.आर.डी.ए. (नेशनल रूरल रोड डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटी नई दिल्ली) को प्रेषित किया जावेगा। एन.आर.आर.डी.ए. से स्वीकृति उपरांत म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा पुल निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जावेगी। निविदा की स्वीकृति उपरांत पुल का निर्माण किया जाना संभव होगा।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
अनूपपुर जिला–अनूपपुर (म.प्र.)

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

C:\Users\Rathod\Downloads\V.Q._7486.doc